

नवभारत



भगवान
परशुराम
जयंती
की शुभकामनाएं

5

होर्मुज में टोल-निजीकरण मंजूर नहीं

6

एक दिल था सीने में...

7

ज्योतिषीय दूरदर्शन : एक विधा का सृजन और विनाश

8

हैदराबाद ने चेन्नई को 195 रन का लक्ष्य

विपक्ष ने नारी शक्ति की उड़ान रोकी

कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल भ्रूणहत्या के गुनहगार : मोदी

- ▶ प्रधानमंत्री ने देश को 30 मिनट तक संबोधित किया
- ▶ बिल में संशोधन नहीं होने पर मांगी माफी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार की शाम 8.30 बजे महिला आरक्षण पर देश को संबोधित किया. उन्होंने कहा, इस बिल में संशोधन नहीं हो पाया. मैं सभी माताओं-बहनों से माफी मांगता हूँ.

उन्होंने कहा, मेरे लिए देशहित सर्वोपरि है, जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है और दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है. तो नारी शक्ति को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है.

पीएम ने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूणहत्या के गुनहगार हैं. ये देश के संविधान के अपराधी हैं.



कांग्रेस परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा

पीएम ने कहा- कांग्रेस खुद ही कई राज्यों में अपना वजूद खो चुकी है. वह परजीवी की तरह दूसरे दलों के सहारे जिंदा है. वे यह भी नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े. इस बिल को रोककर उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र किया है. सभी विपक्ष इतने सालों से हर बार वही बहाने बनाते आए हैं. कोई न कोई पंच फंसाकर महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते हैं. उन्होंने कहा- देश उनका पैटर्न समझ चुका है. इस बिल के विरोध की बड़ी वजह है कि इन परिवारवादी पार्टियों का डर. इन्हें डर है कि महिला सशक्त हुई तो उनकी पार्टी खतरे में आ जाएगी. ये नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें.

नारी शक्ति के अपराधी हैं. जिन अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की लोभों में आधी आबादी का सजा मिलेगी.

संबोधन की मुख्य बातें...

- ▶ महिलाओं के सपने को कुचल दिया: आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया, उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया.
- ▶ विपक्ष ने मेजें थपथपाई: कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है. शुक्रवार को देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. देश की नारी शक्ति देख रही थी. मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसे परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे.
- ▶ नारी अपमान नहीं भूलती: शुक्रवार को विपक्ष ने जो भी किया वह केवल टैबल पर थाप नहीं थी. वह नारी के स्वाभिमान पर उसके आत्म सम्मान पर चोट थी. और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती. इसलिए संसद में कांग्रेस के उसके सहयोगियों के व्यवहार की कसक, हर नारी के मन में हमेशा रहेगी. देश की नारी जब भी अपने क्षेत्र में इन नेताओं को देखेगी तो वह याद करेगी कि इन्हीं लोगों ने संसद में महिला आरक्षण को रोकने का जश्न मनाया था, खुशियां मनाई थीं.
- ▶ विपक्ष को उसके पाप की सजा जरूर मिलेगी: नारी शक्ति वंदन विधेयक का जिन लोगों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो टुक कहूंगा कि ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. वे ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है. वह उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भूलती-भांति जान चुकी है. महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कर के विपक्ष ने जो पाप किया है, उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी. इन दलों ने संविधान निर्माता की भावनाओं का भी अपमान किया है. और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वे बच नहीं पाएंगे.

राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन

कांग्रेस नेता का पुतला फूका पोस्टर में लिखा 'धोखेबाज' बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला



नई दिल्ली, 18 अप्रैल. महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने के बाद देश की राजनीति गरमा गई है. भाजपा ने कांग्रेस और विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया. कई वरिष्ठ भाजपा नेता और महिला सांसद समर्थकों के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर तक मार्च करते हुए पहुंचे.

इस प्रदर्शन में हेमा मालिनी और बासुी स्वराज समेत कई सांसद शामिल थीं. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस मार्च में मौजूद रहे. पार्टी ने सोशल मीडिया पर धोखेबाज लिखे पोस्टर साझा कर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि देश की आधी आबादी इसे कभी माफ नहीं करेगी.

भाजपा ने इस मुद्दे पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया. प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने काले झंडे

सोमवार को संसद बुलाइए, पुराना बिल लाइए संविधान में संशोधन का बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया है. इसके अगले दिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार को चुनौती दी है. प्रियंका ने कहा कि सरकार सोमवार को वह बिल लेकर आए, जिसे 2023 में सभी दलों ने समर्थन दिया था. संसद बुलाई जाए, हम सभी इसको समर्थन देंगे. प्रियंका ने भाजपा नीत एनडीए पर आरोप लगाया कि वह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के वोटों को गुमराह कर रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह महिला विरोधी है. जबकि यह बिल्कुल भी सही नहीं है.

दिखाए और माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया. उनके हाथों में ऐसे पोस्टर थे, जिनमें विपक्ष पर 'नारी शक्ति' का अपमान करने के आरोप लगाए गए. इस प्रदर्शन में कमलजीत सहरावत, मंजू शर्मा, योगिता सिंह और लता गुप्ता जैसे नेता भी शामिल हुए. सभी ने एक सुर में विपक्ष को महिला विरोधी बताया और बिल का विरोध करने के लिए जिम्मेदार ठहराया. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस मार्च में शामिल हुईं.

एक नजर में

चारधाम यात्रा के लिए 18 लाख ने करवाया रजिस्ट्रेशन देहरादून. उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू चुकी है. त्रिपिकेश में मुख्यमंत्री फुकर सिंह धामी ने 10 बसों को यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया. चारधाम के लिए अब तक 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. पिछले साल 23 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. त्रिपिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू हो चुके हैं. सबसे पहले मध्य प्रदेश (शहडोल) के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. त्रिपिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर भी शुरू हो चुके हैं. सबसे पहले मध्य प्रदेश (शहडोल) के 100 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. ये सभी यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेगी. बता दें कि बदीनाथ-कैदनाथ मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी. हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोग दर्शन कर पाएंगे.

विदेश जाने आयकर मंजूरी प्रमाण पत्र होगा जरूरी

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही रिपोर्टों को शनिवार को फर्जी बताया है. बाहर जाने वाले हर भारतीयों को आयकर स्वीकृति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी है. प्रमाण पत्रों को स्पष्ट किया, आयकर की धारा 230 के तहत, कर मंजूरी प्रमाणपत्र सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. इनकी आवश्यकता केवल कुछ कानूनी परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2024 के वित्त अधिनियम के अंतर्गत संशोधनों के बाद भी, देश से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयकर संचुक्ति प्रमाण पत्र संबंधी यह नियम 2003 से अपरिवर्तित है.



होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर की फायरिंग

- ▶ ईरानी गनबोट्स ने चेतावनी दिए बिना किया हमला
- ▶ विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजदूत को किया तलब

तेहरान/नई दिल्ली, 18 अप्रैल. होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे व्यापारी जहाजों पर शनिवार दोपहर गोलीबारी हुई. इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल जहाज भी शामिल था. यह जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों ने दी है, जिसे शिपिंग मॉनिटरिंग टैंकर टैकर्स ने रिपोर्ट किया.

ब्रिटेन के समुद्री निगरानी केंद्र मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक, ईरान के रिवाल्युशनरी गार्ड की दो गनबोट्स टैंकरों के पास आईं और बिना रेडियो चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी.

24 घंटे के भीतर फिर ईरान ने बंद किया होर्मुज ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने ये फैसला लिया है. ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पहले जैसा हो गया है. उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज से आवागमन ब्लॉक करना जारी रखेगा.

371 जायरीनों ने मक्का के लिए भरी उड़ान

नई दिल्ली. भारत से वार्षिक हज यात्रा 2026 का आधिकारिक आगाज हो चुका है. शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 371 जायरीनों का पहला जत्था पवित्र शहर मक्का के लिए रवाना हुआ. इस प्रस्थान के साथ ही देश भर से हज यात्रियों के सऊदी अरब जाने का सिलसिला शुरू हो गया है. दिल्ली हज कमिटी ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया. कमिटी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जायरीनों के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया. सरकार ने इस बार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए हैं. यात्रियों को स्मार्ट वॉच दी गई हैं, जो ट्रैकिंग और आपातकालीन स्थिति में मदद करेंगी.

जबरन धर्म बदलवाने पर होगी आजीवन कैद

- ▶ छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमन डेका ने दी मंजूरी
- ▶ छग धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 अब बना कानून

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. छत्तीसगढ़ पर गोल तरीके से धर्मांतरण को रोक लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2026 अब कानून बन गया है. राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हुए इस अधिनियम का उद्देश्य प्रलोभन, भय या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाना है. नए धर्मों के अनुसार, ये नियमों के अनुसार, जो जिला प्रशासन को पूर्व सूचना देकर अनुमति लेनी होगी. इस

रेलवे-इंश्योरेंस समेत 5 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

24 815 करोड़ के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स मंजूर

12 980 करोड़ के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी

नई दिल्ली, 18 अप्रैल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शनिवार को 5 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी. कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशंसरों के लिए महंगाई भत्ता



(डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. अब यह बढ़कर 58 से 60 प्रतिशत हो गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. रेलवे के 24,815 करोड़ रुपए के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में गाजियाबाद-सीतापुर और राजमुंदरी-विशाखापट्टनम रूट शामिल हैं. केंद्र सरकार ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के

लिए 12,980 करोड़ रुपए के 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी दी है. साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 83,977 करोड़ रुपए का ऐलान किया है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय रेलवे के दो बड़े मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है.

इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 24,815 करोड़ है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के कुल 15 जिलों को कवर किया जाएगा, जिससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 601 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इन परियोजनाओं से रेलवे की लाइन क्षमता में बड़ा इजाजा होगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी. साथ ही, भीड़भाड़ कम होगी और सेवाओं की ...

विधेयक

दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे इस्तेमाल

दलों के बीच नैरेटिव युद्ध में फंसा महिलाओं का अधिकार

प्रवेश कुमार मिश्र नई दिल्ली, 18 अप्रैल. महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) और इससे जुड़ी जनगणना व परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रियाओं की भूलभुलैया में फंसा भारतीय महिलाओं का संसद में समान भागीदारी का सपना फिर से फाड़लों में दबने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बड़ा नैरेटिव युद्ध छिड़ गया है. दोनों दल इसे अपने-अपने तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए

इस्तेमाल कर रहे हैं. विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, महिला आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू हो पाएगा. ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह तकनीकी पेंच इस कानून को कम से कम 2029 के लोकसभा चुनावों तक के लिए टाल देगा. हालांकि विपक्ष ने इसे सरकार का चुनावी जुमला करार देते हुए सवाल उठाया है कि यदि सरकार की नीयत साफ थी, तो इसे तत्काल प्रभाव से पहले से पारित

बिल को लागू करने में क्या बाधा थी? वहीं, सत्ता पक्ष का तर्क है कि परिसीमन के बिना सीटों का निर्धारण संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण और विवादस्पद हो सकता था. जानकार बता रहे हैं कि तर्क-वितर्क और आरोप-प्रत्यारोप के कारण हुई देरी ने राजनीतिक धुंधलका को और तेज कर दिया है. ओबीसी कोटे के भीतर कोटा की मांग ने इस विमर्श को एक नई दिशा दे दी है. क्षेत्रीय दलों और विपक्षी गठबंधन ने इसे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के हक की लड़ाई बनाकर सरकार की

घेराबंदी शुरू कर दी है. दूसरी ओर, परिसीमन का मुद्दा उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के क्षेत्रीय असंतुलन की पुरानी बहस को भी जीवित कर सकता है. दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके

सफल प्रयासों के बावजूद, परिसीमन के बाद उनकी संसदीय सीटों का प्रभाव कम हो सकता है. हालांकि बहस के दौरान सरकार की ओर से विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने के लिए तार्किक तथ्यों के आधार... ▶ शेष पेज 12 पर

बहरहाल, उक्त विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार द्वारा लाया गया यह संविधान संशोधन विधेयक संस्था बल के कारण गिर तो गया है, लेकिन इसके गर्भ से कई सवाल का जन्म भी हुआ है. लगभग बारह वर्षों में पहली बार सरकार को मिली चुनौती से जहां उसे आत्ममंथन करने का मौका मिला है. वहीं लगातार बिखरती विपक्षी एकता को एक बार फिर एकजुटता दिखाने का मौका दे दिया है.

राहुल पर एफआईआर मामले में कोर्ट ने अपना आदेश बदला

लखनऊ, 18 अप्रैल. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने ही आदेश को बदल दिया है. कोर्ट ने शनिवार को अपनी वेबसाइट पर संशोधित आदेश जारी किया.



शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई की. याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से कोर्ट ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को नोटिस जारी करने

कहा- बिना नोटिस केस दर्ज करना ठीक नहीं

प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि ऐसे मामलों में आरोपी को नोटिस जारी करना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि बिना नोटिस दिए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश उचित नहीं है. इसलिए कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को संशोधित कर दिया. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय कर दी है. इस सुनवाई में राहुल गांधी या उनके वकील को नोटिस जारी करने और उनका पक्ष सुनने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.